राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: ict.rcse@gmail.com

क्रमांक : रमाशिप / जय / ICT-III / F-959 / 2016 / 5118 दिनांक: 22 / 07 / 2016

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,

समस्त विद्यालय (आईसीटी तृतीय चरण)।

विषयः– आईसीटी तृतीय चरण में कम्प्यूटर लैब व सैटेलाइट प्रसारण सुविधा के समुचित उपयोग व प्रबंधन बाबत दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा आईसीटी योजनान्तर्गत स्थापित कम्प्यूटर लैब व सैटेलाइट प्रसारण सुविधा का समुचित रूप से प्रतिदिन उपयोग नहीं किया जा रहा है व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा आईसीटी विद्यालयों हेतु जारी विद्यालय कालांश योजना की पालना नहीं की जा रही है। अतः समस्त आईसीटी तृतीय चरण विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निम्न निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद किया जाता है :–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 2016–17 हेतु जारी दैनिक कालांश योजना की कठोरता से पालना की जावे। कक्षा 9 व 10 हेतु केवल उक्त दैनिक समय सारणी ही मान्य है।
2. विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जिसने कम्प्यूटर विषय में विधिवत डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स या अन्य कोई अधिकृत कम्प्यूटर बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं, उसी शिक्षक को कम्प्यूटर लैब इंचार्ज बनाया जाना चाहिए। संस्था प्रधान आईसीटी योजना में रूचि रखने वाले शिक्षक को उसकी उसकी योग्यता, विषयसंगतता, निष्पादन क्षमता को ध्यान में रख कर कम्प्यूटर लैब प्रभारी का दायित्व सौंपे।
3. कम्प्यूटर कक्ष में किसी भी प्रकार का अन्य सामान यथा कबाड़, कम्प्यूटर के खाली बक्से, अतिरिक्त स्टूल–मेज, अतिरिक्त दरियाँ, अनुपयोगी हार्डवेयर इत्यादि नहीं रखे जाऐं। कम्प्यूटर लैब का उपयोग हार्डवेयर स्टोर रूम के रूप में हरगिज नहीं किया जाए।
4. कम्प्यूटर लैब के सुदृढीकरण व स्वच्छता हेतु विकास कोष / विद्यार्थी कोष / जन सहयोग इत्यादि स्त्रोत से कम्प्यूटर कक्ष के खिड़कियों, दरवाजों इत्यादि पर पर्दे लगवाये जाएं, डस्टिंग इत्यादि हेतु बजट उपलब्धतानुसार वैक्यूम क्लीनर या ब्लोअर की व्यवस्था करावें व प्रतिदिन प्रातः काल कम्प्यूटर लैब की समुचित साफ सफाई सुनिश्चित करे।
5. कम्प्यूटर लैब में LAN, N-Computing इत्यादि से संबंधित वायर्स को इधर–उधर बिखरा न रहने दें। कम्प्यूटर्स की पीछे की दीवार के साथ या फर्श पर टेप इत्यादि की सहायता से व्यवस्थित करे। इंटरनेटर–ब्रॉडबैण्ड सुविधा सर्वर सहित सभी नोड्स पर संचालित होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक कम्प्यूटर लैब में आवश्यक रूप से समुचित प्रकाश व हवा की व्यवस्था हो। दीवार घड़ी व विद्युत सब मीटर कार्यशील हों तथा धूल कीचड़ सने जूतों सहित प्रवेश वर्जित किया जावे।
7. खिड़की, दरवाजों पर सुरक्षात्मक [illegible], शटर, मजबूत लोहे की एंगल व इंटरलॉक की व्यवस्था करवाई जावे। कम्प्यूटर लैब की सुरक्षा हेतु वार्निंग अलार्म, CCTV कैमरा, रात्री कालीन चौकीदार इत्यादि उपाय प्राथमिकता से किए जावे। कम्प्यूटर लैब का कोई भी उपकरण कक्ष से बाहर न ले जाया जाए।
8. सैटेलाइट प्रसारण सुविधा अन्तर्गत प्रदय डिस्पले यूनिट (TV) की दीवार पर स्थापना पूर्ण सावधानी व मजबूती से की जाए। डिस्पले यूनिट को सर्वर कम्प्यूटर के साथ कनेक्टेट रखा जाए जिससे कम्प्यूटर पर तैयार PPT, Animations, Video, Audio , व पाठयोजना को TV के माध्यम से पूरी कक्षा को पढ़ाया जा सके।

EDUCATION NEWS GROUP